[redacted] [redacted]

संख्या: 434/24-पी-3-2023-3245/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,लखनऊ।

कार्यवाहक निदेशक,
विधुत सुरक्षा,
गोमती नगरलखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 मार्च,2023

विषय: उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के पैरा-13.6 के अनुसार पाँच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त नई सौर ऊर्जा इकाईयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के पैरा-13.6 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य मे स्थापित समस्त सौर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय जो विद्युत वितरण कम्पनी अथवा तृतीय पक्ष अथवा कैप्टिव उपयोगार्थ किया जायेगा, दस वर्ष तक इलेक्ट्रिक ड्यूटी से मुक्त होगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1952) की धारा 3 की उप-धारा (4) में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गतउत्तर प्रदेश राज्य के किसी क्षेत्र में प्रचलित विद्युत आपूर्ति प्रभारों, किसी भाग की उत्पादन क्षमता और सामान्यतः औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 जारी किये जाने के पाँच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त नई सौर ऊर्जा इकाईयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 434 /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित् :-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

(2) अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,लखनऊ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।

(5) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(6) निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)लखनऊ।

(7) अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत अनुभाग।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।